

प्रेषक,

जीवन चन्द्र जोशी,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

वेबसाइट www.forest.uk.gov.in/
फोन/फैक्स:-0135-2741607, 2742641
ई-मेल:-ccfofmua@gmail.com

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

देहरादून दिनांक, 21 जून, 2017।

विषय-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में वन विभाग के अनुदान संख्या-27 की राज्य सेक्टर योजना "2406-02-110-03-00-वाईल्ड लाइफ बोर्ड को सहायता" हेतु कोषागार मदों में बजट का आवंटन।

संदर्भ-

शासनादेश सं० 1060/X-2-2017-12(41)/2012 दिनांक 16 जून, 2017 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,


उक्त सन्दर्भित शासनादेश एवं उसके साथ संलग्न अलॉटमेंट आई डी-S1706270092 दिनांक 16.06.2017 से वित्तीय वर्ष 2017-18 में वन विभाग के अनुदान संख्या-27 की राज्य सेक्टर योजना "2406-02-110-03-00-वाईल्ड लाइफ बोर्ड को सहायता" हेतु कोषागार मदों में अवमुक्त धनराशि ₹ 33,33,000/- (₹ तैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र) का ऑनलाइन आवंटन विभाग के विभिन्न आहरण वितरण अधिकारियों को (उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के उपयोग हेतु प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग को ₹ 8.33 लाख तथा उत्तराखण्ड राज्य वन्य जीव सलाहकार परिषद हेतु निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून को ₹25.00 लाख) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित जारी करते हुये प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती है। कृपया तदनुसार सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी से कोषागार मदों में प्राप्त बिलों का नियमानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।

1. आवंटित धनराशि उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीव सलाहकार परिषद एवं उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के कार्यों के संचालन हेतु उनकी वास्तविक एवं औचित्यपूर्ण आवश्यकतानुसार ही आवंटित की जायेगी।
2. धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा एवं अवशेष धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।
3. धनराशि का व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय।
4. उक्त आवंटित धनराशि के उपयोग हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड- (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम ((बजट मैनुअल) तथा संदर्भित शासनादेश, शासनादेश संख्या 177/XXXVII(7)/2008 दिनांक 01 मई 2008, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमैट) नियमावली 2008, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमैट) (संशोधन) नियमावली 2015 तथा समय-समय पर जारी संगत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अर्न्तगत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और नही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
6. धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-312/3(150)/XXVII(1) दिनांक 31.03.2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायें।
7. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष मासिक व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी.एम.-4 में कार्यालयवार भरकर बिलम्बतम प्रत्येक माह की पहली तारीख तक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार



भवदीय,


(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

संख्या: नि0 2406 (1)/3-5 (वाईल्ड लाईफ बोर्ड को सहायता)तददिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
- 2- महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
- 3- सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 4- अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 5- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 6- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- अध्यक्ष/सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, 108/11, बसन्त बिहार, देहरादून।
- 9- समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी, वन विभाग उत्तराखण्ड। प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग को आवंटित धनराशि उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड तथा निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व देहरादून को आवंटित धनराशि उत्तराखण्ड राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड के उपयोगार्थ है। कृपया संदर्भित शासनादेश एवं उक्त पैरा-1 व 7 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुये आवंटित/जारी धनराशि का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- 10- उप वन संरक्षक, आइ0टी0सैल कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटित/जारी धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-2406/3-5

अलोटमेंट आई डी - H1706271040

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक -21-Jun-2017

DDO Name - DFO Dehradun Forest Division Dehradun (4257) , Treasury - Dehradun (0100)

1: लेखा शीर्षक	2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन	02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन
	110 - वन्य जीवन परिरक्षण	
	03 - वाइल्ड लाइफ बोर्ड को सहायता	
	00 - वाइल्ड लाइफ बोर्ड को सहायता	

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	833000	833000
	0	833000	833000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

833000

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-2406/3-5

अलोटमेंट आई डी - H1706271041

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक -21-Jun-2017

DDO Name - Director Rajaji Tiger Reserve Dehradun (4325) , Treasury - Dehradun (0100)

1: लेखा शीर्षक	2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन	02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन
	110 - वन्य जीवन परिरक्षण	
	03 - वाइल्ड लाईफ बोर्ड को सहायता	
	00 - वाइल्ड लाईफ बोर्ड को सहायता	

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	2500000	2500000
	0	2500000	2500000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

2500000